क्रम संख्या–83 (ग) पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 09 जून, 2004 ई०
ज्येष्ठ 19, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
परिवहन विभाग
संख्या 248/परि०/2004
देहरादून, 09 जून, 2004

अधिसूचना

प०आ०–103

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल के राज्यपाल, उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2004

भाग एक–सामान्य

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2004 कहलाएगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उत्तरांचल, परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली एक अधीनस्थ सेवा नियमावली है, जिसमें समूह "ग" एवं "घ" के पद सम्मिलित हैं। सेवा की प्रास्थिति

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में– परिभाषायें

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य अपर परिवहन आयुक्त से है;

(ख) "परिवहन आयुक्त" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल से है;

(ग) "अपर परिवहन आयुक्त" का तात्पर्य अपर परिवहन आयुक्त उत्तरांचल से है;

(घ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(च) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;

(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त और सेवारत व्यक्ति से है;

(ञ) "संभागीय परिवहन अधिकारी" का तात्पर्य उत्तरांचल के किसी संभाग के संभागीय परिवहन अधिकारी से है;

(ट) "संभागीय कार्यालय" का तात्पर्य संभागीय परिवहन कार्यालय से है और इसके अधीनस्थ उपसंभागीय परिवहन कार्यालय और उसी संभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) कार्यालय से है। इसमें उस संभाग में पड़ने वाली राज्य की सीमा पर स्थापित चौकी (चेकपोस्ट) भी सम्मिलित है;

(ठ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा से है;

(ड) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ढ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष में पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4\. (1) सेवा में सदस्य की संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये। इस नियमावली के लागू होने के समय सेवा में पदों की संख्या परिशिष्ट "क" में दी गयी है;

परन्तु–

क– नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, और

ख– राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5\. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–

पदनाम	भर्ती का स्रोत
प्रवर्तन सिपाही	(एक) संवर्ग के 66 2/3 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा।

पदनाम	भर्ती का स्रोत
	(दो) संवर्ग के 33 1/3 प्रतिशत पद विभाग के समूह "घ" के ऐसे स्थायी कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा जो नियम 8(1) में दी गयी अर्हताओं एवं नियम 13 में दी गयी शारीरिक स्वस्थता के मापदण्डों को पूरा करते हों और जो यह चाहते हों कि पद के लिये उनके मामले में विचार किया जाये।
प्रवर्तन चालक	सीधी भर्ती द्वारा।
प्रवर्तन पर्यवेक्षक	स्थायी प्रवर्तन सिपाही में से पदोन्नति द्वारा।

(2) पदोन्नति का मापदण्ड, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता होगा। परन्तु, अन्य बातों के समान होते हुए भी भारी वाहन चलाने के लिये विधिमान्य लाइसेन्स धारकों को वरीयता दी जायेगी।

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षण

भाग–चार–अर्हतायें

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी– राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगाण्डा और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजावर) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8. सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक है :– शैक्षिक अर्हतायें

क्रम संख्या	पदनाम	अर्हतायें
एक	प्रवर्तन सिपाही	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल

क्रम संख्या	पदनाम	अर्हतायें
		शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और हृष्ट-पुष्ट डील-डौल का होना चाहिए।
दो	प्रवर्तन चालक	(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और
		(दो) यथास्थिति भारी, हल्के परिवहन वाहन को चलाने का वैध चालक लाइसेंस रिक्त अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

अधिमानी अर्हतायें

9. (1) अन्य बातों के समान होने पर प्रवर्तन सिपाही के पद पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने/जो–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) भूतपूर्व सैनिक हो, या

(चार) भारी परिवहन वाहन चलाने हेतु विधिमान्य चालक लाइसेन्स धारक हो।

(2) अन्य बातों के समान होने पर प्रवर्तन चालक के पद पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायेगा, जिसने/जिसे–

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,

(दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो,

(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

आयु

10. सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर आयु सीमा उतनी होगी जितनी भर्ती के समय उस समूह के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी:

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेंगे।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसके एक से अधिक पति जीवित हों: वैवाहिक प्रास्थिति

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। प्रवर्तन सिपाही/पर्यवेक्षक के पद के लिए अभ्यर्थी की ऊँचाई और सीने की माप की निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षायें भी पूरी करनी चाहिए– शारीरिक स्वस्थता

(एक) ऊँचाई– 160 सेंटीमीटर

(दो) सीना– बिना फुलाये 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर।

किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फण्डामेन्टल रूल–10 के अधीन बनाए गए और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड–2 के भाग–3 में दिए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच–भर्ती प्रक्रिया

14. (1) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा। रिक्तियों का अवधारण

(2) सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियों को निम्नलिखित रीति से अधिसूचित किया जायेगा–

(एक) ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन द्वारा।

(दो) कार्यालय के सूचनापट्ट पर सूचना चिपकाकर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन द्वारा।

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।

15. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– प्रवर्तन सिपाही के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष

(दो) परिवहन आयुक्त द्वारा नामित दो सदस्य जो संभागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर के न हों — सदस्य

टिप्पणी–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारियों का समय–समय पर यथा संशोधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार नाम निर्देशन किया जायेगा।

(2) सीधी भर्ती के पदों के लिए चयन समिति आवेदन–पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

(3) शारीरिक परीक्षण परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चयन के लिए परीक्षा 100 अंकों की होगी। अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी:–

(क) (एक) वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न–पत्र होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(दो) अभ्यर्थियों का प्रश्न–पत्र एवं उत्तर–पत्र (दो प्रतियों में) दिये जायेंगे। जब परीक्षा समाप्त होगी तो अभ्यर्थियों को अपने साथ उत्तर–पत्र की कार्बन प्रति ले लाने की अनुमति दी जायेगी।

(ख) पद के लिए विहित न्यूनतम् अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों को प्रतिशत का 20 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(ग) छटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 15 प्रतिशत होंगे–

(एक) सेवा में प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए	पाँच अंक
(दो) सेवा में दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए	प्रत्येक वर्ष के लिए पाँच अंक

(घ) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 05 प्रतिशत होंगे–

(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो	पाँच अंक
(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो	चार अंक
(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो	तीन अंक
(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो	दो अंक

(4) (क) लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात चयन समिति नियम–6 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलायेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी।

(ख) साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिए नियत कुल अंकों के दस प्रतिशत अंकों का होगा। साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे–

(एक)	विषय/सामान्य ज्ञान	चार अंकों तक
(दो)	व्यक्तित्व निर्धारण	तीन अंकों तक
(तीन)	अभिव्यक्ति की क्षमता	तीन अंकों तक

टिप्पणी– किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक रूप से दिये गये अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किये जायेंगे।

(ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम–3 के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

(5) उपनियम–4 के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उपनियम–3 के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी।

(6) उपनियम 5 में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जाएगी।

प्रवर्तन चालक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. प्रवर्तन चालक के पद पर सीधी भर्ती उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा नियमावली, 2003 अथवा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम–15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। परन्तु प्रवर्तन सिपाही के सम्बन्ध में अन्य बातों के समान होते हुए भी भारी वाहन चलाने के लिए विधिमान्य लाइसेन्स धारकों को वरीयता दी जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम–2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की उस क्रम में जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्तियों में नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये या इस नियमावली के अधीन आगामी चयन किये जाने तक के लिये, इनमें से जो भी पहले हो, की जायेगी।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर किसी स्थायी नियुक्ति में या उसके प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक की अवधि बढ़ायी जाये :

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से ऊधिक किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।